भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1179
जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

मुद्रा योजना

1179. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुद्रा योजना की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इससे महाराष्ट्र में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं तथा उक्त पर देश भर में क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(घ) क्या बैंकों द्वारा जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क):प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई), अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई), आदि द्वारा संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है।

कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और जिसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए एक व्यवसाय योजना है, इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है। वह विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र में आय सृजन संबंधी कार्यकलापों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए चार ऋण उत्पादों, अर्थात् शिशु (50,000 रुपए तक का ऋण), किशोर (50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का ऋण) और तरुण (5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण) में से कोई ऋण प्राप्त कर सकता है। तरुण प्लस श्रेणी के तहत 20 लाख रुपये तक का ऋण उन उद्यमियों को दिया जाता है जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण का लाभ उठाया है और उस ऋण को सफलतापूर्वक चुकाया है।

(ख) और (ग): सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को सांकेतिक वार्षिक लक्ष्य देती है। एमएलआई बदले में क्षेत्र की क्षमता, उनकी उपस्थिति और अन्य संबंधित मापदंडों के अनुसार अपने संबंधित राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

पिछले तीन वर्ष के दौरान, अर्थात् दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2025 तक, महाराष्ट्र में पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित राशि निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ऋण खातों की संख्या (करोड़ में)	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
महाराष्ट्र	1.49	1,30,919	1,29,640
अखिल भारत	18.37	15,50,352	15,24,584

(एमएलआई द्वारा मुद्रा पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार)

(घ): नागरिक किसी भी सहायता के लिए ऑनलाइन पोर्टल और ग्राहक सेवा नंबरों के माध्यम से बैंकों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को सीधे संबंधित बैंक शाखाओं तक पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बैंक के निदेशक मंडल ने ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए संगठन में उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। यदि आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या विनियमित संस्था द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है, तो ग्राहक "रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021" से संपर्क कर सकता है जो शिकायतों का निःशुल्क निवारण प्रदान करती है। भारत सरकार एक वेब-आधारित पोर्टल भी संचालित करती है, अर्थात् केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) जिसके माध्यम से नागरिक भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं।

*****